REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102022-239829 CG-DL-E-21102022-239829

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4780] No. 4780] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 21, 2022/आश्विन 29, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2022/ASVINA 29, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4992(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, लॉरिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात-:

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.─ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लॉरिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश,
2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. लॉरिक एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश 24 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/1/2021-रसा. II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 27 अप्रैल, 2022 को अधिसूचना संख्या का.आ. 1961 (अ) तारीख 27 अप्रैल, 2022 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 21st October, 2022

S.O. 4992(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Lauric Acid (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Lauric Acid (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Lauric Acid (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 24th day of April, 2023".

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1961(E), dated the 27th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4993(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, एसिड ऑयल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात-:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एसिड ऑयल (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. एसिड ऑयल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थातु: -

"(2) यह आदेश 24 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/1/2021-रसा. II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 27 अप्रैल 2022 को अधिसूचना संख्या का.आ. 1962 (अ) तारीख 27 अप्रैल, 2022 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 21st October, 2022

S.O. 4993(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Acid Oil (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Acid Oil (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Acid Oil (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 24^{th} day of April, 2023".

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1962(E), dated the 27th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4994(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, पाम फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात-:

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.─ (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पाम फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश,
2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. पाम फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश 24 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/1/2021-रसा. II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 27 अप्रैल 2022 को अधिसूचना संख्या का.आ. 1963 (अ) तारीख 27 अप्रैल, 2022 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 21st October, 2022

S.O. 4994(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Palm Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Palm Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Palm Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 24th day of April, 2023".

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), dated the 27th April, 2022, *vide* number S.O. 1963(E), dated the 27th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4995(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात-:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.─ (1) इस आदेश का सक्षिप्त नाम राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश 24 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/1/2021-रसा. II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 27 अप्रैल 2022 को अधिसूचना संख्या का.आ. 1964 (अ) तारीख 27 अप्रैल, 2022 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 21st October, 2022

S.O. 4995(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 24^{th} day of April, 2023".

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II] SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy. **Note :** The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), dated the 27th April, 2022, vide number S.O. 1964(E), dated the 27th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4996(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, नारियल फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात-:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.– (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम नारियल फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. नारियल फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश 24 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/1/2021-रसा. II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 27 अप्रैल 2022 को अधिसूचना संख्या का.आ. 1965 (अ) तारीख 27 अप्रैल, 2022 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 21st October, 2022

S.O. 4996(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Coconut Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) This Order may be called the Coconut Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Coconut Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 24^{th} day of April, 2023".

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), dated the 27th April, 2022, vide number S.O. 1965(E), dated the 27th April, 2022.

आदेश

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4997(अ).—केन्द्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि, लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, हाइड्रोजनीकृत राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात-:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.─ (1) इस आदेश का सक्षिप्त नाम हाइड्रोजनीकृत राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. हाइड्रोजनीकृत राइस ब्रान फैटी एसिड (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 में, पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश 24 अप्रैल, 2023 को प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. सी. II-13012/1/2021-रसा. II]

सुशांत कुमार पुरोहित, संयुक्त सचिव

नोट : मूल आदेश को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में तारीख 27 अप्रैल 2022 को अधिसूचना संख्या का.आ. 1967 (अ) तारीख 27 अप्रैल, 2022 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

ORDER

New Delhi, the 21st October, 2022

S.O. 4997(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following amendment to the Hydrogenated Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Hydrogenated Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Amendment Order, 2022.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Hydrogenated Rice Bran Fatty Acids (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, for subparagraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(2) This order shall come into force on the 24^{th} day of April, 2023".

[F. No.C.II-13012/1/2021- Chem.II]

SUSANTA KUMAR PUROHIT, Jt. Secy.

Note : The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii), dated the 27th April, 2022, vide number S.O. 1967(E), dated the 27th April, 2022.